



न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 200/17

निर्णय दिनांक: 28.06.2018

1. बसा खातून पत्नी मजीदखॉ जाति मुसलमान निवासी वार्ड नं. 10 तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

—रेस्पोंडेन्ट्

अपील विरुद्ध आज्ञा दिनांक 30-12-1998
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थिति:—

1. श्री धनेश खत्री, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियो, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट् ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 30-12-1998 जिसके द्वारा अपीलांट् का रकबा स्कीम से बाहर बताकर आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।
2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् को बतौर विशेष आवंटन के तहत तहसील खाजुवाला के चक 14 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 20/34 के आवंटन हेतु प्रार्थना

पत्र मय सबूत व धरोहर राशि के प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ आवंटन हेतु आवश्यक तमाम सबूत पेश किये थे। उसके पश्चात् अपीलांट को कहा गया कि जब भी रकबा आवंटन करेंगे तो आपको रजिस्टर्ड नोटिस सूचित कर दिया जावेगा। अपीलांट रकबा आवंटन की सूचना का इंतजार करता रहा व अपीलांट को कोई नोटिस अथवा सूचना नहीं दी गई।

तत्पश्चात् अदालत मातहत द्वारा करीब 3 वर्ष बाद दिनांक 30-12-1998 को आवंटन सलाहकार समिति की राय से उक्त आवेदन पत्र में आवेदित रकबा स्कीम से बाहर होने का बताकर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अपीलांट द्वारा वादगत् भूमि 14 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 20/34 के लिए आवेदन किया था जबकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के आवंटन प्रार्थना पत्र पर चक 14 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 20/40 को स्कीम से बाहर मानते हुए अपीलांट का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जबकि अपीलांट द्वारा आवेदित रकबा रकबा विशेष आवंटन के गजट में वर्ष 1988 से नोटिफाईड किया हुआ है। जो कि स्कीम का रकबा था व अभी भी गजट में आरक्षित है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त गजट का मिलान ही नहीं किया व एक साईक्लोस्टाईल आर्डरशीट में गलत मुरब्बा नम्बर भरकर अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। वादगत् भूमि आज भी रकबा राज दर्ज है, अन्य किसी को आवंटन नहीं हुई है। अपीलांट आज भी उक्त भूमि की नियमानुसार राशि जमा करवाने को तैयार है।

अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्रोत खेती ही है। इसलिए अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर व पीठ पीछे एकतरफा तौर पर पारित किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30-12-1998 के विरुद्ध अपील दिनांक 16-05-17 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।
5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।
6. जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 30-12-1998 को पारित किया गया है। जिसके विरुद्ध अपील 16-05-2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस अथवा सूचना नहीं दी गई है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।
7. (1) हस्तगत प्रकरण में अपीलांट द्वारा बतौर विशेष आवंटन के तहत तहसील पूगल के चक 14 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 20/34 के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र वर्ष 1995 को मय सबूत व धरोहर राशि के प्रस्तुत किया गया। अपीलांट द्वारा आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ आवंटन हेतु आवश्यक तमाम सबूत पेश किये थे। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर

प्रदान नहीं किया गया है ना ही कोई नोटिस जारी किया गया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है।

(2) यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अपीलांत द्वारा चक 14 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 20/34 के विशेष आवंटन के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांत का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज किया गया कि प्रार्थी द्वारा आवेदित चक 14 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 20/40 रकबा स्कीम से बाहर होने के कारण आवंटन की कार्यवाह नहीं की जा सकती। अतः सलाहकार समिति की राय से आवेदन निरस्त किया जाता है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर कोई गौर नहीं किया गया ना ही अपीलांत के आवंटन प्रार्थना पत्र का कोई अवलोकन किया जाना प्रतीत होता है क्योंकि अदालत मातहत द्वारा अपीलांत द्वारा आवेदित रकबा खारिज नहीं करते हुए अन्य रकबा मुरब्बा नम्बर 20/40 खारिज किया गया है। जबकि अभिभाषक अपीलांत द्वारा प्रस्तुत विशेष आवंटन गजट की प्रति के अनुसार अपीलांत द्वारा आवेदित रकबा विशेष आवंटन के तहत आवंटन योग्य रकबा था व आज भी है।

(3) प्रकरण में अभिभाषक अपीलांत द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2071-2074 के अनुसार चक 14 केएचएम जिसके नये चक नम्बर 13 केएचएम पैमूद हुए हैं, का मुरब्बा नम्बर 20/354 आज दिनांक को आराजी राज दर्ज होकर अन्य किसी को आवंटनशुदा नहीं है तथा विशेष आवंटन हेतु आरक्षित रकबा है। अदालत मातहत को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व वादगत् भूमि के संबंध में सही स्थिति की जानकारी प्राप्त की जानी अपरिहार्य थी। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए बिना अपीलांत को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना अपीलांत द्वारा आवेदिक रकबे के स्थान पर अन्य रकबा खारिज करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो किसी भी प्रकार से न्यायोचित व तर्कसंगत आदेश की परिभाषा में नहीं आता है।

(4) अभिभाषक अपीलांत द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी द्वारा बतौर सबूत प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2071-2074 के अनुसार उक्त रकबा आज

दिनांक को अराजीराज दर्ज है व अन्य किसी को आवंटनशुदा नहीं है। इसलिए अपीलांट उक्त भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 30-12-1998 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को नियमानुसार उसकी पात्रता की जाँच करते हुए, पात्रता सही पाये जाने पर चक 14 केएचएम जिसके नये चक नम्बर 13 केएचएम कायम हुए है के मुरब्बा नम्बर 20/34 की भूमि के आवंटन की कार्यवाही की जावे।
9. निर्णय आज दिनांक 28.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर